70

संख्याः– 321 / उन्तीस(2) / 12–2(67पे0) / 2008

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 मार्च, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून की गणेश बिहार जलोत्सारण योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 235 / नियोजन अनुभाग / धनावंटन प्रस्ताव / 13 दिनांक 09–02–2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के नगरीय जलोस्तसारण योजनान्तर्गत देहरादून की गणेश बिहार जलोत्सारण योजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की अन्तिम किश्त ₹ 3.70 लाख (₹ तीन लाख सत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(I) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(III) कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163 / XXVII(7) / 2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा। जिस हेतु स्वीकृत लागत में ही व्यवस्था सम्मिलित है।

(IV) व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

(V) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(VI) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(VII) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(VIII) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(IX) उक्त योजना से सम्बन्धित स्वीकृत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः-------2-----

(X) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(XI) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(XII) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –101–शहरी जलपूर्ति– 03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/ जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–35–पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 241/XXVII(2)/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

पृ0 संख्याः–321(1)/उन्तीस(2)/12–2(67पे0)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव–सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6–जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
11–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12–अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
13–अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
14–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
15–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव